



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

६वा, ७वा एवं ८वा तल, टावर-बी, वर्लड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

दिनांक: 12.3.2025

याचिका सं. 71/टीएल /2025

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

**खावडा V-ए** पावर ट्रांसफ़िशन लिमिटेड, बी-९, कुतुब हंसटीट्यूनल एरिया, कैटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नांग, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसके इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर 'फेस-V (४ जीडब्ल्यू): भाग ए के अधीन गुणात्मक के खावडा क्षेत्र में विवर नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी' हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पृथक पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 एवं धारा 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुमति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीआॉडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीआॉडी पर वस्तु योग्य कोटेड पारेषण प्रभारों की प्रतिशतता	संबंधित घटक का वाणिज्यिक प्रचालन (सीआॉडी) घोषित करने के लिए पूर्वाधिकृत घटक
१ए. <sup>*</sup>	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (२x1500 मेगावाट) (बाइपोल-१) 3000 मेगावाट, ± ८०० केवी केपीएस2 (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	बाइपोल १, (२x1500 मेगावाट) और अच्छी घटकों [क्रमांक १, २ए, ३, ४, ५ और ६ में उल्लिखित] के लिए 48 मास और बाइपोल २ (२x1500 मेगावाट)	31.03%	सभी घटकों (बाइपोल २ (२x1500मेगावाट) को छोड़कर) को ४८ मास में एक साथ आरंभ किया जाना आवश्यक है क्योंकि उनका उपयोग एक दूसरे के आरंभ होने पर निर्भाव है। बाइपोल २ (२x1500मेगावाट) को ५४ मास में बालू किया जाएगा।
२ए. <sup>*</sup>	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (२x1500 मेगावाट) (बाइपोल-१) 3000 मेगावाट, ± ८०० केवी केपीएस2 (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	[क्रमांक १वीं और २वीं में उल्लिखित] के लिए ५४ मास (एसपीवी अंतरण की तारीख से)	31.03%	
१बी. <sup>*</sup>	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (२x1500 मेगावाट) (बाइपोल-२) 3000 मेगावाट, ± ८०० केवी केपीएस2 (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	[क्रमांक १वीं और २वीं में उल्लिखित] के लिए ५४ मास (एसपीवी अंतरण की तारीख से)	31.03%	
२बी. <sup>*</sup>	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (२x1500 मेगावाट) (बाइपोल-२) 3000 मेगावाट, ± ८०० केवी नागपुर (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	[क्रमांक १वीं और २वीं में उल्लिखित] के लिए ५४ मास (एसपीवी अंतरण की तारीख से)	31.03%	
३	केपीएस2 (एचवीडीसी) और नागपुर (एचवीडीसी) (१२०० किमी) के बीच ± ८०० केवी एचवीडीसी बाइपोल लाइन (हैक्सा लैपविंग) (डेविकेटेड मैटैलिक रिटर्न के साथ) (यथा विनिर्दिष्ट ओवरलोड के साथ ६००० मेगावाट की निकासी करने में सक्षम)		37.94%	
४	एचवीडीसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ २x330 एमवीएआर (७६५ केवी) और २x125 एमवीएआर, ४२० केवी बस रिटर्न्स के साथ नागपुर एस/एस में ६x1500 एमवीए, ७६५ / ४०० केवी आईसीटी की स्थापना। ४०० केवी बस को ४०० केवी बस सेक्षनलाइजर के १. सेट के माध्यम से २ खंडों में स्थापित किया जाएगा ताकि प्रत्येक खंड में ३x1500 एमवीए आईसीटी रखे जा सकें। बस सेक्षनलाइजर सामान्य रूप से बद रहना और ग्रिड की आवश्यकता के आधार पर खोला जा सकता है। • ७६५ / ४०० केवी, १५०० एमवीए आईसीटी-६ (प्रत्येक ४०० केवी सेक्षन पर ३) (एक स्पेयर यूनिट सहित १९ सिंगल फेज यूनिट) • ७६५ केवी आईसीटी बी-६ नवर • ४०० केवी आईसीटी बी-६ नवर (प्रत्येक		37.94%	

• 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर-2 नंबर
• 125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर-2 नंबर (प्रत्येक सेक्षन पर एक)
• 765 केवी रिएक्टर बे- 2 नंबर
• 765 केवी लाइन बे- 4 नंबर
• 400 केवी रिएक्टर बे- 2 नंबर (प्रत्येक सेक्षन पर एक)
• 400 केवी बस सेक्षनलाइजर - 1 सेट
• 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (लाइन/बस रिएक्टर के लिए स्पेयर यूनिट) - 1 नं.
नागपुर में निम्नलिखित के लिए भावी प्रावधान:
• 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी-4 (400 केवी बस सेक्षन-॥ पर 1 और भविष्य के 400 केवी बस सेक्षन-III पर 3)
• स्विचबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 10 नं.
• बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नं.
• 765 केवी सेक्षनलाइजर बे: 1-सेट
• स्विचबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 12 नं.
• 400 केवी बस सेक्षनलाइजर- 1 सेट
• बे के साथ 400 / 220 केवी आईसीटी -9 नंबर (400 केवी बस सेक्षन    पर 3 नंबर और भविष्य के बस सेक्षन III पर 6 नंबर)
• बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 4 नंबर (400 केवी बस सेक्षन I और II प्रत्येक पर 1 और भविष्य के 400 केवी बस सेक्षन III पर 2)
• 220 केवी लाइन बे: 16 नंबर
• 220 केवी सेक्षनलाइजशन बे: 2 सेट
• 220 केवी बीसी और टीबीसी: 3 नंबर
• 80 एमवीएआर 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (लाइन रिएक्टर के लिए स्पेयर यूनिट)-1
5 नागपुर में वर्धा-रायपुर 765 केवी एक डी / सी लाइन (2xडी / सी लाइनों में से) का लीला
6 नागपुर-रायपुर 765 केवी डी / सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर नागपुर छोर पर 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर का संस्थापन
• 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिएक्टर- 2 सख्ता (नागपुर छोर पर)
• 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इचिपमेंट- 2 नंबर (नागपुर छोर पर)
• 80 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (लाइन रिएक्टर के लिए स्पेयर यूनिट)-1 नंबर

\*एचवीडीसी और एचवीएसी स्विचबाईड के बीच 400 केवी अंतरसंयोजन (सभी सबद्व इविचपमेट / बस एक्सटेंशन आदि के साथ) टीएसपी द्वारा कार्यान्वयन किए जाएंगे।

# कोपीएस2 और नागपुर में 6000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीडीसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (4x1500 मेगावाट) के संबंध में दायरा, 3000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीएसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (2x1500 मेगावाट) बाइपोल-1 (क्रमांक 1ए और 2ए) और 3000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीडीसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (2x1500 मेगावाट) बाइपोल-2 (क्रमांक 1बी और 2बी) में विमाजित किया गया है, ताकि कोटेड पारेषण प्रभारों के प्रतिशत की गणना की जा सके।

#### नोट:

- i. 2x1500 मेगावाट पोल्स, कोपीएस2 के 400 केवी बस सेक्षन 1 से निकलेंगे और नागपुर के बस सेक्षन 1 पर समाप्त होंगे। इसी प्रकार, अन्य 2x1500 मेगावाट के पोल्स कोपीएस2 के 400 केवी बस सेक्षन 2 से निकलेंगे और नागपुर के बस सेक्षन 2 पर समाप्त होंगे।
- ii. एचवीडीसी प्रणाली को 100% पावर रिवर्सल क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। रेटेड विद्युत पारेषण क्षमता के साथ-साथ रेटेड पारेषण वोल्टांग को एसी गार्ड के रेटिंगफायर छोर पर परिसाधित और गारंटीकृत किया जाएगा।
- iii. कोपीएस2 का टीएसपी सुपरोक दायरे के अनुसार एचवीडीसी प्रणाली की स्थापना के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- iv. कार्यान्वयन समय-सीमा: बाइपोल-1 (2x1500 मेगावाट) और बाइपोल 2 (2x1500 मेगावाट) को छोड़कर अन्य सभी तरफों के लिए 48 मास तक बाइपोल-2 (2x1500 मेगावाट) के लिए 54 महीने (एसपीसी अधिग्रहण की तारीख से)।
2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने यांत्रिक सं. 71 / टीएल / 2025 में दिनांक 12.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुमति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. खावला IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समझ किए गए अनुबंध एवं अनुलालनको सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या नियोजित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपाधा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार आवेदक को पारेषण अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 24.3.2025 तक अध्यहस्ताक्षरी के भेज दिया जाए। विनिविष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 25.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कार्बी भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्विचेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टाइप/डाइर नहीं हस्ता/— (हस्तीत सिंह पृष्ठी) संचित